कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा मध्यप्रदेश

JSA 916

—:विविध—आदेश:—

(कार्य—विभाजन में संशोधन क0—09)

क्रमांक.......17......../ रीवा, दिनांक 01 /02/2024
दो—1—1/2000

मध्यप्रदेश व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा—15 व 21 (4) तथा मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय (संशोधन) अधिनियम 2011 के परिप्रेक्ष्य में एवं दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा—10 की उपधारा—2 एवं 3 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पूर्व में प्रसारित सिविल एवं आपराधिक कार्य विभाजन आदेश क्रमांक—216/दो—1—1/2000 दिनांक 17 मई 2023 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है, यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

1. सरल क्रमांक—05 तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के सिविल खण्ड के स्तम्भ क्रमांक—4 की कंडिका क्रमांक—06 को विलोपित किया जाता है तथा सरल क्रमांक—4 द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा के सिविल खण्ड के स्तम्भ क्रमांक—04 की कंडिका क्रमांक—03 के पश्चात् कंडिका क्रमांक—04 निर्मित करते हुए ''मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम 1956 की धारा—307 के उपनियम (5) के अंतर्गत पेश आवेदन—पत्र'' को जोड़ा जाता है।

2. सरल क्रमांक—58 के पश्चात् अंकित नोट के कंडिका—08 के पश्चात् 09 निर्मित कर निम्नानुसार स्थापित किया जाता है।

''09. विशेष न्यायाधीश (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) (अत्याचार निवारण) अधिनियम रीवा के न्यायालय से संबंधित सभी प्रकार के सिविल प्रकरण तथा उनसे संबंधित आवेदन व उक्त न्यायालय के ऐसे सभी प्रकरण जो अपीलीय या पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा सुनवाई के लिए प्रत्यावर्तित किये गये हैं, के निराकरण हेतु नवम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश रीवा को अधिकृत किया जाता है।''

शेष आदेश यथावत रहेंगे।

Sd/-
(सुबोध कुमार जैन)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्र0.....543...../ रीवा, दिनांक 01/02/2024
दो—1—1/2000

प्रतिलिपि:—

1. सिविल जिला रीवा की समस्त न्यायालय
रीवा/मउगंज/त्यौंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
2. अध्यक्ष, अधिवक्ता संघ रीवा/मउंगज/त्योंथर/सिरमौर/हनुमना/मनगवां।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. सिस्टम ऑफिसर की ओर वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।
4. कम्प्यूटर ऑपरेटर कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रीवा को संबंधित न्यायाधीशगण के ई—मेल एड्रेस में भेजने हेतु।
5. फाईलिंग काऊंटर रीवा/मउगंज/त्यौंथर/सिरमौर/हनुमना/की ओर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु सूचनार्थ प्रेषित।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रीवा (म0प्र0)